न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 106 / 2012 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ़

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मीरखां पुत्र उनड़खा

2.मीयण पुत्री उनड़खा कौम मुसलमान निवासी सत्तो तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के बमुकदमा संख्या 71 / 2005 बअनवान मीरखां वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2009 के विरूद्ध पेश।

उपस्थिति

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 17.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण / रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सत्तों के खसरा संख्या 1619 रकबा 213.15 बीघा व खसरा संख्या 1623 रकबा 200 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक आज्ञाप्ति जारी की गई। जबकि यह भूमि सरकारी है। से सैटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। ग्राम सत्तो के खसरा संख्या 1619 रकबा 213.15 बीघा व खसरा संख्या 1623 रकबा 200 बीघा भूमि भू–प्रबंध अभिलेख में सरकारी दर्ज है, उक्त खसरे पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण भू–प्रबंध के समय उनके नाम दर्ज नहीं हुई। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट के समय जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करके अभिलेख तैयार कर अंतिम रूप से पहले आपत्तियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। वर्तमान में सरकार की कीमती जमीन को हड़पने की मंशा से इतने लम्बे अंतराल बाद वाद पेश किया। अतः अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि प्रतिवादी ने खसरा संख्या 1623 के संबंध में कोई जबाव ही नहीं दिया है और रेस्पोडेंट/वादीगण अपने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित करने में सफल रहा है कि समरी वक्त वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त था तथा स्थाई बंदोबस्त के बाद भी यह कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है, वादग्रस्त भूमि पहले तो उनके पित उनड़ के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही थी जिसे वक्त स्थाई बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने उनके नाम से दर्ज नहीं किया और राजस्व अभिलेखों में यह नोट लगा दिया कि मौके पर खातेदार ने कोई खेत पैमाईश नहीं करवाया गया। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट/वादीगण की पीढीयाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री की नकले अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट/अप्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सतो के समरी खसरा संख्या 220 व 207 रकबा क्रमशः 207, 207 कुल 414 बीघा उनड़ पुत्र गागन मुसलमान सा.दे. खातेदार जमाबंदी संवत 2016 से 2019, 2023 से 2026 व 2026 से 2030 (EXP-1, EXP-3 व EXP-4) के अनुसार दर्ज रही है। जो खसरा गिरदावरी (EXP-5 से EXP-8)से साबित है। इस भूमि का नियमित बंदोबस्त में खसरा संख्या क्या सृजित हुए? प्रस्तुत अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता। वादी/रेस्पोडेंट मीरखां का राजकीय भूमि पर यदा कदा अतिक्रमण प्रस्तुत रसीदों से पाया जाता है। यह अतिक्रमण वर्ष 1984 में ग्राम सतो के खसरा संख्या 1619 व 1623 पर (नाजायज रूप में) क्रमशः 12 बीघा व 10 बिस्वा बाजरी काश्त व झौपड़ा रूप में पाया गया है (EXP-17)। नकल खसरा परिवर्तनशील संवत 2041 (EXP-19) के अनुसार सतो के इन्हीं दो खसरों पर क्रमशः 12 बीघा व 10 बिस्वा पर गैर मुश्तकिल काश्त है। उक्त दोनों खसरा संख्या जमाबंदी वर्ष 2058–60 (EXP-18) के अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि रही है। खसरा गिरदावरी संवत 2015–18, 2019–22, 2023–26, 2026–30 (EXP-5, EXP-6, EXP-7 व EXP-8) में खसरा संख्या 220 व 221 पर काश्त का रकबा क्रमशः 5.10 व 02.15 बीघा; 125 बीघा व 70 बीघा; शून्य बीघा, शून्य बीघा है, जिससे सिद्ध होता है कि जिस समरी के खसरों को आधार बनाकर सरकारी भूमि पर दावा किया गया है उस पर **अधिकतम कब्जा काश्त 125 बीघा व 70 बीघा** रही है इसलिए इस अतिक्रमित रकबे से अधिक का दावा करने एवं उसे मान लेने का कोई आधार ही नहीं है। वादीगण/रेस्पोडेंट के गवाह उर्सेखां पुत्र निहालखां के बयानों में **खसरा संख्या 1619 के उल्लेख में कांट–छांट है** जबकि गवाह मिश्री पुत्र केसरा के बयानों में **खसरा संख्या 1623 की जगह 1621 उल्लिखित है,** गवाह बच्चूखां पुत्र सुलेमान वादीगण के पिता के नाम समरी में **केवल 400 बीघा भूमि होने का कथन करता है,** इत्यादि कथन वाद के कथनों से विरोधाभासी है एवं सुसंगत

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं है। इसलिए वादीगण/रेस्पोडेंट का प्रस्तुत अभिलेख के आलोक में वाद स्वीकार योग्य नहीं है एवं अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा बमुकदमा संख्या 71/2005 बअनवान मीरखां वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2009 को खारिज किया जाता है।

17/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner